

प्रपत्र-I

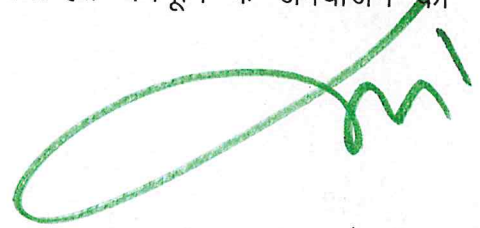
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अंचल-बारियातू के मौजा-भाटचतरा, शिबला, मकरा, कुसमाहा, बेसरा, बरवाडीह, रहेया, चेड़रा एवं फूलबसिया उर्फ अमरवाडीह जिला-लातेहार के खाता एवं प्लॉट में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्रणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था में है तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि का किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष-2005 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर अंचल अधिकारी, बारियातू द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-1-20)

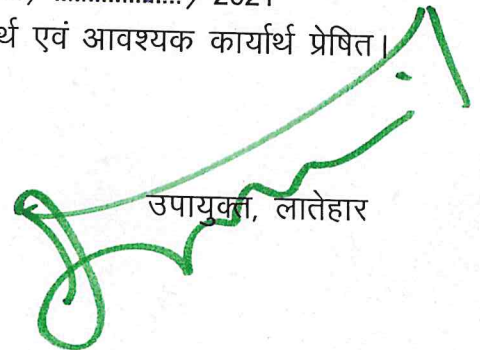
अतः स्पष्ट है कि वर्ष-2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल-झाड़ी आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं उसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।



उपायुक्त, लातेहार

ज्ञापांक:-91...../रा0, दिनांक:-.....01...../.....02...../2021
प्रतिलिपि:- प्रबंधक, नॉर्थ कर्णपुरा ट्रान्स्को लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उपायुक्त, लातेहार

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 1366 वगैरह, मौजा- भाटचतरा, खाता सं०- 38 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

SI No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	Nature Of Land
	BHATCHATRA	43	1366	1.3869	रैयती
			1370	0.3464	रैयती
			1372	0.3563	रैयती
			1375	0.4749	अनावाद सर्व साधारण
			1377	0.0560	रैयती
			1378	0.6182	रैयती
			1379	0.2642	रैयती
			1380	0.4159	अनावाद सर्व साधारण
			1383	0.0093	रैयती
			1384	0.1651	रैयती
			1385	0.0509	रैयती
			1386	0.2623	रैयती
			1387	0.1985	रैयती
			1388	0.1952	रैयती
			1389	0.3911	रैयती
			1390	0.3751	रैयती
			1517	0.0880	रैयती
Total					5.6543

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।


अंचल अधिकारी,
बारियातु।


अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 101 वगैरह, मौजा- शिबला, खाता सं०- 48 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैंडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

SI No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	
1	SHIBLA	44	101	0.1409	रैयती
2			110	0.1659	रैयती
3			111	0.8473	रैयती
			112	0.4005	रैयती
			113	0.0918	रैयती
			114	0.6974	अनावाद बिहार सरकार
			116	0.0097	अनावाद बिहार सरकार
			117	0.0155	रैयती
			1627	0.0351	रैयती
			1628	0.2308	रैयती
			1629	0.2680	रैयती
			1630	0.2324	रैयती
			1631	0.2371	अनावाद बिहार सरकार
			1635	0.4656	अनावाद बिहार सरकार
			1636	0.4439	अनावाद बिहार सरकार
			1637	0.6446	अनावाद बिहार सरकार
			1646	1.8677	रैयती
			1647	0.9035	रैयती
			1648	0.5821	रैयती
			1650	0.0000	अनावाद बिहार सरकार
			1651	0.2058	रैयती
			1654	0.1735	रैयती
			1655	0.0621	रैयती
			1656	0.2671	रैयती
			1659	0.2494	रैयती
			1661	0.0499	रैयती
			1667	0.1119	रैयती









[illegible]

1668	0.3315	रैयती
1673	0.0374	रैयती
1677	0.0043	अनावाद बिहार सरकार
1679	0.1671	अनावाद बिहार सरकार
1680	0.0252	रैयती
1681	0.1912	पुरानी परती का बिल आबिल
1682	0.0574	रैयती
1683	0.1587	अनावाद सर्व साधारण
1684	0.0001	अनावाद बिहार सरकार
1685	0.0465	अनावाद बिहार सरकार
1686	0.7148	रैयती
1687	0.1322	रैयती
1688	0.5518	रैयती
1689	0.1351	अनावाद सर्व साधारण
1690	0.1781	अनावाद बिहार सरकार
1691	0.3970	अनावाद बिहार सरकार
1693	0.0526	रैयती
1694	0.0104	रैयती
1695	0.0062	रैयती
1696	0.0168	अनावाद बिहार सरकार
1720	0.1311	अनावाद बिहार सरकार
1721	0.0922	रैयती
1722	0.1093	रैयती
1762	0.6472	रैयती
1764	0.0519	अनावाद बिहार सरकार
194	0.1038	अनावाद सर्व साधारण
199	0.9619	अनावाद बिहार सरकार
200	0.6652	रैयती
201	0.2749	अनावाद बिहार सरकार
202	0.0923	रैयती
274	1.1033	रैयती
281	0.0001	रैयती
282	0.1160	रैयती
283	0.0086	अनावाद बिहार सरकार
284	0.0183	रैयती
285	0.0769	अनावाद बिहार सरकार
286	0.3957	रैयती
287	0.0037	अनावाद बिहार सरकार
299	0.0472	अनावाद सर्व साधारण
3	0.4976	अनावाद बिहार सरकार

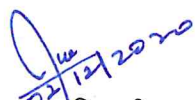
		300	0.5161	रैयती
		301	0.1409	रैयती
		304	0.0562	रैयती
		306	0.2437	अनावाद सर्व साधारण
		307	0.6143	रैयती
		308	0.3716	रैयती
		309	0.3494	रैयती
		311	0.1956	रैयती
		325	0.0498	रैयती
		327	0.1935	रैयती
		328	0.3126	रैयती
		331	0.0472	रैयती
			0.5501	अनावाद सर्व साधारण
		336	0.2067	रैयती
		337	0.0861	अनावाद बिहार सरकार
		338	0.3679	अनावाद बिहार सरकार
		339	0.1591	अनावाद बिहार सरकार
		341	0.8867	रैयती
		342	0.8289	रैयती
		351	0.0331	अनावाद बिहार सरकार
		352	0.1209	अनावाद सर्व साधारण
		377	0.2167	रैयती
Total			24.5584	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।






अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 127 वगैरह, मौजा- मकरा, खाता सं०- 23 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैंडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

Sl No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	
	MAKRA	46	127	0.0012	रैयती
			131	0.0481	अनावाद सर्व साधारण
			132	0.2513	रैयती
			133	0.1185	रैयती
			134	0.5147	रैयती
			135	0.1126	रैयती
			136	0.5512	रैयती
			137	0.3903	रैयती
			138	0.0000	अनावाद बिहार सरकार
			139	0.1535	रैयती
			140	0.0923	रैयती
			141	0.2521	रैयती
			142	0.1825	रैयती
			144	0.0196	रैयती
			145	0.0136	रैयती
			148	0.0281	अनावाद बिहार सरकार
			149	0.0852	अनावाद बिहार सरकार
			150	0.0083	रैयती
			151	0.0470	रैयती
			152	0.1113	रैयती
			153	0.1033	रैयती
			154	0.3625	रैयती



10/2/99

53



[illegible]

156	0.1518	रैयती
157	0.1866	रैयती
158	0.2013	रैयती
159	0.0082	रैयती
173	0.0258	रैयती
174	0.1498	अनावाद बिहार सरकार
175	0.1500	अनावाद बिहार सरकार
176	0.2339	अनावाद बिहार सरकार
177	0.0400	रैयती
178	0.0300	अनावाद बिहार सरकार
179	0.4741	रैयती
180	0.1030	रैयती
182	0.0506	रैयती
183	0.1310	रैयती
184	0.1850	रैयती
185	0.2252	रैयती
186	0.1268	रैयती
187	0.1006	रैयती
188	0.5053	रैयती
189	0.0758	रैयती
190	0.0010	रैयती
196	0.0139	रैयती
204	0.1008	रैयती
205	0.1959	रैयती
206	0.1375	रैयती
208	0.0022	अनावाद बिहार सरकार
209	0.0035	रैयती
220	0.0001	अनावाद बिहार सरकार
62	0.0535	अनावाद सर्व साधारण
63	0.8840	अनावाद बिहार सरकार



10/2/20

Q

✓

			66	0.7747	अनावाद बिहार सरकार
			67	0.0929	रैयती
			76	0.0579	रैयती
			77	0.3324	रैयती
			78	0.0008	रैयती
			81	1.5688	रैयती
			82	0.1533	अनावाद सर्व साधारण
			83	0.3128	रैयती
			84	0.0444	रैयती
		Total		11.3323	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
02/12/2020

अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 354 वगैरह, मौजा- कुशमाहा, खाता सं०- 7 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथवा प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

SI No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	
1	KUSHMAHA	47	354	0.0737	रैयती
2			355	0.6342	रैयती
3			356	0.0709	रैयती
4			361	0.0547	अनावाद बिहार सरकार
			362	0.1581	रैयती
			363	0.2498	रैयती
			364	0.0648	रैयती
			366	0.0950	अनावाद सर्व साधारण
			370	0.4466	रैयती
			371	0.2143	रैयती
			372	1.3675	रैयती
			374	0.0567	रैयती
			376	0.4568	रैयती
			377	0.0286	अनावाद बिहार सरकार
			378	0.4952	रैयती
			379	0.1212	रैयती
			380	0.1110	रैयती
			383	0.3224	रैयती
			384	0.0318	रैयती
			385	0.0006	रैयती
			49	0.1459	रैयती
			50	0.6839	रैयती
			51	1.2164	रैयती
			516	0.0414	रैयती
			517	0.0154	रैयती

यह प्रमाणित है

10/11/2019

87

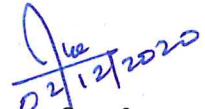
92

		52	0.0939	रैयती
		64	0.0368	रास्ता
		65	0.2222	रैयती
Total			7.5098	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।





02/12/2020
अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 10 वगैरह, मौजा- बेसरा, खाता सं०- 159 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैंडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

Sl. No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	Type Of Land
	BESRA	48	10	0.0043	273 - 2
			116	0.1880	अनावाद बिहार सरकार
			13	0.0278	रैयती
			14	0.0745	रैयती
			1484	0.3552	रैयती
			1485	0.6706	रैयती
			1486	0.0202	रैयती
			1487	0.1124	रैयती
			1495	0.1489	रैयती
			1496	0.5665	रैयती
			1497	0.1025	रैयती
			1498	0.0120	अनावाद बिहार सरकार
			1499	0.1474	अनावाद बिहार सरकार
			15	0.4613	रैयती
			1500	0.4672	रैयती
			1501	0.4338	रैयती
			1502	0.1433	रैयती
			1506	0.4941	रैयती
			1509	0.0743	अनावाद बिहार सरकार
			1514	0.3339	रैयती
			1515	0.0409	अनावाद बिहार सरकार
			1516	0.2487	रैयती
			1518	0.2787	अनावाद बिहार सरकार
			1519	0.1401	अनावाद बिहार सरकार
			1536	0.0488	अनावाद बिहार सरकार
			16	0.1335	रैयती
			17	0.0423	273 - 2
			19	0.6744	रैयती

[Handwritten signature]

(10)

[Handwritten mark]

		20	0.1906	रैयती
		2055	0.2423	अनावाद बिहार सरकार
		32	0.2916	अनावाद बिहार सरकार
		37	0.3031	रैयती
		38	0.0440	रैयती
		39	0.0599	रैयती
		40	0.3404	अनावाद बिहार सरकार
		41	0.1980	अनावाद बिहार सरकार
		43	0.0271	अनावाद बिहार सरकार
		45	0.2083	रैयती
		46	0.1025	रैयती
		47	0.0513	रैयती
		48	0.2503	रैयती
		49	0.0854	रैयती
		50	0.0000	रैयती
		52	0.0508	रैयती
		53	0.0004	रैयती
		54	0.0231	रैयती
		55	0.0524	रैयती
		56	0.1143	रैयती
		57	0.0337	रैयती
		58	0.2447	रैयती
		59	0.0877	रैयती
		61	0.0316	रैयती
		69	0.0597	रैयती
	Total		9.5388	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।

[Signature]

[Signature]

[Signature]
अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 105 वगैरह, मौजा- बरवाडीह, खाता सं०- 45 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

SI No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	Nature Of Land
	BARWADIH	52	105	0.8982	रैयती
			111	0.7730	रैयती
			112	0.5580	रैयती
			113	0.0077	रैयती
			19	0.0315	रैयती
			20	0.1484	अनावाद बिहार सरकार
			21	0.2217	रैयती
			22	0.2695	अनावाद बिहार सरकार
			23	0.2466	अनावाद बिहार सरकार
			24	0.3098	रैयती
			25	0.6927	रैयती
			29	0.0065	अनावाद बिहार सरकार
			30	0.1196	रैयती
			31	0.3222	अनावाद बिहार सरकार
			32	0.0369	रैयती
			33	0.2879	रैयती
			369	0.0422	अनावाद सर्व साधारण
			39	0.2123	रैयती
			40	0.0415	रैयती
			41	0.3835	रैयती
			42	0.1901	अनावाद बिहार सरकार
			46	0.1440	रैयती
			47	1.5230	अनावाद बिहार सरकार
			48	0.4688	अनावाद बिहार सरकार
			49	0.2595	रैयती
			656	0.0009	213 - 2
			Total	8.1960	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

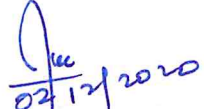
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।




02/12/2020
अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 113 वगैरह, मौजा- रहेया, खाता सं०- 25 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैंडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

SI No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	Nature Of Land
	RAHEYA	53	113	0.0048	रैयती
			114	0.1175	रैयती
			116	0.8752	रैयती
			122	1.0875	रैयती
			123	0.0030	अनावाद बिहार सरकार
			124	0.0249	रैयती
			125	0.0511	रैयती
			126	0.0832	रैयती
			127	0.1663	रैयती
			128	0.0528	रैयती
			130	0.0084	अनावाद बिहार सरकार
			131	0.0216	रैयती
			1644	0.1731	अनावाद बिहार सरकार
			26	0.1513	रैयती
			30	0.0113	रैयती
			31	0.9289	रैयती
			32	0.2616	रैयती
			33	0.8337	रैयती
			34	0.0160	रैयती
			35	0.0164	रैयती
			36	0.0017	रैयती
			40	0.1927	रैयती
			549	0.1367	अनावाद सर्व साधारण
			550	0.1547	रैयती
			551	0.3357	रैयती
			552	0.1139	रैयती
			553	0.0044	रैयती
			556	0.1903	अनावाद बिहार सरकार
			557	0.1338	रैयती

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

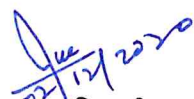
		558	0.3974	रैयती
		559	0.1274	अनावाद बिहार सरकार
		616	0.5508	रैयती
		617	0.1190	अनावाद बिहार सरकार
		618	0.0307	अनावाद बिहार सरकार
		619	0.0482	रैयती
		620	0.2352	अनावाद सर्व साधारण
		621	0.1072	रैयती
		660	0.0247	रैयती
		670	0.2905	रैयती
		671	0.2050	रैयती
		672	0.1193	अनावाद बिहार सरकार
		673	0.0895	रैयती
		675	0.2628	रैयती
		676	0.0501	रैयती
		736	2.1242	रैयती
		86	0.0847	अनावाद सर्व साधारण
		89	0.0023	रैयती
		90	0.0397	रैयती
		91	0.1221	रैयती
		92	0.1531	रैयती
		93	0.0050	रैयती
		94	0.0306	रैयती
		95	0.1694	रैयती
		96	0.2855	रैयती
	Total		11.8270	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।






अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 1004 वगैरह, मौजा- चेडरा, खाता सं०- 162 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

SI No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	Nature Of Land
1	CHARRA	54	1004	0.0579	अनावाद बिहार सरकार
			229	0.5337	रैयती
			230	0.3060	रैयती
			231	0.2669	रैयती
			233	0.4665	अनावाद बिहार सरकार
			255	0.3023	अनावाद बिहार सरकार
			259	0.0243	रैयती
			260	0.5233	रैयती
			261	0.2460	रैयती
			262	0.0272	रैयती
			264	0.0492	रैयती
			265	0.1509	रैयती
			266	0.0579	रैयती
			267	0.1686	अनावाद बिहार सरकार
			268	0.1570	अनावाद बिहार सरकार
			271	0.1479	अनावाद बिहार सरकार
			273	0.1479	रैयती
			274	0.0155	रैयती
			275	0.0971	रैयती
			276	0.3068	रैयती
			277	0.0029	रैयती
			278	0.1726	रैयती
			279	0.0306	रैयती
			280	0.1004	रैयती
			281	0.1874	रैयती
			282	0.1956	रैयती

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

283	0.0179	रैयती
287	0.0063	रैयती
288	0.3278	रैयती
289	0.2785	रैयती
290	0.2184	रैयती
298	0.0234	रैयती
299	0.0459	रैयती
300	0.3497	रैयती
301	0.0741	रैयती
302	0.5776	अनावाद बिहार सरकार
303	0.1698	अनावाद बिहार सरकार
305	0.4639	रैयती
306	0.0603	रैयती
307	0.0581	अनावाद बिहार सरकार
619	0.0171	रैयती
620	0.0011	अनावाद बिहार सरकार
629	0.0164	अनावाद बिहार सरकार
630	0.1168	अनावाद बिहार सरकार
633	0.0530	अनावाद बिहार सरकार
634	0.2675	अनावाद बिहार सरकार
635	0.0166	रैयती
636	0.0290	रैयती
637	0.8190	अनावाद बिहार सरकार
641	0.0372	अनावाद बिहार सरकार
642	0.0536	अनावाद बिहार सरकार
646	0.0911	रैयती
647	0.1332	रैयती
648	0.3126	रैयती
872	0.0565	अनावाद सर्व साधारण
874	0.1180	रैयती
875	0.2700	रैयती
876	0.0254	अनावाद बिहार सरकार
877	0.2115	रैयती
878	0.0900	रैयती
879	0.0043	अनावाद बिहार सरकार
880	0.5651	अनावाद बिहार सरकार



17



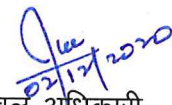
			891	0.1348	अनावाद सर्व साधारण
			892	0.0067	रैयती
			893	0.4306	रैयती
			894	0.0610	रैयती
			895	0.4682	अनावाद बिहार सरकार
			896	0.2333	रैयती
			897	0.1674	रैयती
			898	0.2399	रैयती
			902	0.1246	रैयती
			903	0.9920	रैयती
			905	0.2387	रैयती
			906	0.0838	रैयती
			908	0.3919	अनावाद बिहार सरकार
			921	0.0332	रैयती
			922	0.1466	रैयती
			923	0.1765	अनावाद बिहार सरकार
			925	0.0108	रैयती
			965	0.0080	अनावाद सर्व साधारण
		Total		14.6674	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।






अंचल अधिकारी,
बारियातु।

प्रपत्र-1

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट सं०- 01 वगैरह, मौजा- फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह, खाता सं०- 325 वगैरह, अंचल- बारियातु, जिला लातेहार में सन्निहित भूमि का कैंडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (R.S) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू-अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्राणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण-शीर्ण/कटे-फटे अवस्था तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि की किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष 1992 में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर है। जो निम्नवत् है-

Sl No.	Village Name	Thana No.	Plot No.	Area In Acore	
	PHULBASIA ALIAS AMARWADIH	54	1	0.0444	अनावाद सर्व साधारण
			13	0.4856	रैयती
			136	0.0182	रैयती
			137	1.1551	रैयती
			155	0.0100	अनावाद बिहार सरकार
			161	0.0419	रैयती
			173	0.0178	अनावाद सर्व साधारण
			176	0.0000	रैयती
			177	0.1636	रैयती
			178	0.1711	रैयती
			179	0.0982	रैयती
			182	0.0007	रैयती
			183	0.1044	रैयती
			185	0.8925	रैयती
			186	0.1420	रैयती
			188	0.0089	रैयती
			2	0.0679	अनावाद बिहार सरकार
			215	0.0262	रैयती
			216	0.1902	रैयती
			217	0.1960	रैयती
			220	0.0622	अनावाद बिहार सरकार
			221	0.0593	रैयती
			222	0.3685	रैयती
			223	0.3021	रैयती
			224	0.2979	रैयती
			225	0.6392	रैयती

[Signature]

[Signature]

(19)

[Signature]

			226	0.3540	अनावाद बिहार सरकार
			228	0.0447	रैयती
			230	0.4409	रैयती
			3	0.2635	रैयती
			31	2.5590	अनावाद सर्व साधारण
			5	0.4132	रैयती
			6	0.4766	रैयती
			7	0.1951	रैयती
		Total		10.311	

अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1992 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व सर्वे अभिलेख के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल झाड़ी आदि (Deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिह्नित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।

[Signature]

[Signature]

[Signature]
02/11/2020
अंचल अधिकारी,
बारियातु।